रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 1981/माघ 9, 1902

No. 29] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 1981/MAGHA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1981

अधिसूचना

सा०का० नि० 36 (अ)—केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन नियम, 1981 है।

(i) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,--

(क) नियम 7 के उपनियम (3) का लोप किया जाएगा,

(ख) नियम 7 के उपनियम (4) और (5) को क्रमश उपनियम (3) और (4) के रुप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा,

(ग) उक्त नियमों के नियम 32 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्.--

"32.(1) **सहमति के लिए आवेदन**--अधिनियम के अधीन (क) किसी सरिता या कुएं या मलनाली में या भूमि पर मल या व्यावसायिक बहिस्राव के निस्सरण के लिए किसी नए या परिवर्तित विकास को प्रयोग में लाने के लिए या (ख) किसी सरिता या कुएं या मलनाली में या भूमि पर मल या व्यावसायिक बहिस्राव के किसी नए निस्सरण को धारा 25 के अधीन प्रयोग में लाने के लिए, या (ग) किसी सरिता या कुएं या मलनाली में या भूमि पर मल या व्यावसायिक बहिस्राव का कोई वर्तमान निस्सरण धारा 26 के अधीन जारी रखने के लिए, केन्द्रीय बोर्ड से सहमति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन, केन्द्रीय बोर्ड को, प्ररुप XIII में किया जाएगा।

(2) ऐसे आवेदन के साथ नीचे सारणी में विहित फीस संलग्न होगी --

सारणी

क्रम का क्रम	प्रतिदिन, औसत जल उपभोग किलोलीटर में	फीस (रुपयों में)
1	10 या उससे कम	200
2.	10+ 50 तक	300
3.	50+ 100 तक	400
4.	100+ 500 तक	600
5	500+ 1000 तक	800
6.	1000+ 5000 तक	1200
7	5000+ 10000 तक	1600
8	10000+ 50000 तक	2400
9.	50000+ 100000 तक	3200
10.	100000+ 500000 तक	4800
11.	500000+ 1000000 तक	6400

+वर्णित आकड़ों से अधिक इस प्रकार 10+से 10 से अधिक अभिप्रेत है।

(3) ऐसा आवेदन जिसके साथ विहित फीस संलग्न नहीं होगी, बोर्ड द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(4) जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए फीस का संदाय केन्द्रीय बोर्ड के नाम बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।"

(घ) उक्त नियमों के प्ररूप XIII में,--

(i) पैरा 1 के उपपैरा (ग) में, मद संख्या (vi) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्--

(vii) मलनाली का स्वामी ... है।

(viii) कूआं का स्वामी ... है"

(ii) पैरा 6 के पश्चात् निम्नलिखित नया पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा।

"7. मैं/हम अधिनियम की धारा 25 के अधीन संदेय फीस के रूप में केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के नाम ... सं० (... रुपए) का बैंक ड्राफ्ट सं० ... तारीख ... इसके साथ संलग्न करता हूं/करते हैं।";

(ङ) प्ररूप XIII के उपाबंध में, क्रम सं० 19 में, मद सं० (7) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंत: स्थापित की जाएंगी अर्थात्.--

"(8) मलनाली

(9) कुआं।"।

[संख्या क्यू० 15013/1/79-ई०पीसी]
एस० सी० पाण्डे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 29th January, 1981

NOTIFICATION

G.S.R. 36(E).—In exercise of the powers conferred by section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government, in consultation with the Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution, hereby makes the following rules to further amend the Water (Prevention and Control of Pollution), Rules, 1975, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Rules, 1981.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975, (hereinafter referred to as the said rules) :—

(a) sub-rule (3) of rule 7 shall be omitted;

(b) sub-rules (4) and (5) of rule 7 shall be re-numbered as sub-rules (3) and (4), respectively;

(c) for rule 32 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"32. (1) **Application for consent.**—An application for obtaining the consent of the Central Board (a) for bringing into use any new or altered outlet for the discharge of sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land or; (b) to begin making use of any new discharge of sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land under section 25, or; (c) for continuing an existing discharge of sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land under section 26 of the Act shall be made to the Central Board in Form XIII.

(2) Such application shall be accompanied by fees as prescribed in the Table below :—

TABLE

Order of Slab	Kilo litre of average water consumption per day	Fees in rupees
1.	10 or below	200
2.	10+ to 50	300
3.	50+ to 100	400
4.	100+ to 500	600
5.	500+ to 1000	800
6.	1000+ to 5000	1200
7.	5000+ to 10000	1600
8.	10000+ to 50000	2400
9.	50000+ to 100000	3200
10.	100000+ to 500000	4800
11.	500000+ to 1000000	6400

+more than the stated figure, thus 10+means more than 10.

(3) Any application not accompanied by the prescribed fees shall not be entertained by the Board.

(4) The fees shall be paid by Bank Draft in favour of the Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution."

(d) In Form XIII of the said rules,—

(i) in para 1, in sub-paragraph (c), after item No. (vi), the following items shall be inserted, namely :—

"(vii) Sewer owned by................

(viii) Well owned by................";

(ii) after paragraph 6, the following new paragraph shall be inserted, namely :—

"7. I/We enclose herewith Bank draft No...........dated............for Rs......... (Rupees............................) in favour of the Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution, New Delhi as fees payable under section 25 of the Act.";

(e) In Annexure to Form XIII, in Serial No. 19, after item No. (vii), the following items shall be inserted, namely :—

"(viii) Sewer.

(ix) Well."

[No. Q. 15013/1/79-EPC]
S. C. PANDEY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981